**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2345**

**03 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए**

**छोटे शहरों हेतु नई आवासीय योजना**

**2345. श्री दुर्गा दास उइकेः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास छोटे शहरों के लिए कोई नई आवासीय योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आकांक्षी जिलों में सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही आवासीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत चयनित शहरों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई अन्य प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है; और

(च) स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत मध्य प्रदेश के शहरों की रैंकिंग क्या है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री कौशल किशोर)**

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आकांक्षी जिलों के साथ-साथ बेतुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं सहित पक्के आवास प्रदान करने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्र, औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/ शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य विधानमंडल के तहत ऐसा कोई भी प्राधिकरण,

जिसे शहरी योजना और नियमों के कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें आकांक्षी जिले और बेतुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं, के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित योजना / विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सहित तत्पश्चात अधिसूचित कस्बों में कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्वथाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

दिनांक 24.07.2023 की स्थिति के अनुसार 1.12 करोड़ आवासों की वैध मांग की तुलना में, पीएमएवाई-यू के तहत 118.90 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 112.25 लाख आवास निर्माणाधीन हैं; जिनमें से 75.51 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं।

(ङ) और (च): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एक वार्षिक सर्वेक्षण करता है। शहरों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के समग्र कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत चयनित शहरों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत मध्य प्रदेश के शहरों की रैंकिंग https://sbmurban.org/SS-2022-Result-Dashboard पर देखी जा सकती है।

*****